प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 08.02.2026

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5264 द्वारा डीसीएम तथा कार में आपस में टक्कर होने के कारण सड़क दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–पीआरवी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मेंहदावल बइपास से कालर द्वारा डीसीएम तथा कार में टक्कर हो जाने के कारण सड़क दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों (01.मिक्कू रावत पुत्र श्रीराम निवासी हरपुर बुदहट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर 02.शिवम सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह 03.अभि पुत्र प्रमोद 04.नन्द किशोर वर्मा पुत्र जनार्दन निवासीगण कजुवाहा थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 विजय पासवान, हो0गा0 चालक सूर्यनाथ मौर्य।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 97 वाहनों से 1,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 97 वाहनों से 1,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

➢ ***उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में बहु-बेटी सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन***

➢ ***कुल 11 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन का सफल आयोजन, कुल 1178 महिलाओं / बालिकाओं द्वारा किया गया प्रतिभाग***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 11 स्थानों पर बहु-बेटी सम्मेलन एवं महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 1178 महिलाएँ / बालिकाएं उपस्थित रही।

कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न गांवो में जाकर बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित कर किया गया जागरूकता कार्यक्रम 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा ग्राम बरईटोला व भिटवा टोला में 02 थाना दुधारा द्वारा ग्राम बभनी, करही, मुजहनी मुजहना में 03. महिला थाना द्वारा ग्राम बंजरिया में 04. थाना धनघटा द्वारा ग्राम दीपपुर,डिहवा,सिसवा में 05. थाना महुली द्वारा ग्राम पंचायत महुली में 06. थाना मेंहदावल द्वारा ग्राम कुसौना खुर्द, मंझरिया तिवारी में 07. थाना बखिरा द्वारा ग्राम संतोषपुर, सहजनवा तिराहा, कस्बा बखिरा तिराहा, बागेश्वर नाथ मंदिर पर 08. थाना बेलहरकला द्वारा ग्राम कर्माकला में 09. थाना धर्मसिंहवा द्वारा ग्राम गौरीराई में बहु-बेटियों को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 अभियान एवं शासन की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि शामिल रहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जैसे वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि। चर्चा के दौरान गुड टच – बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी विस्तृत रूप से वार्ता की गई तथा उपस्थित महिलाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

उक्त सम्मेलन का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि इस आयोजन से घरेलू हिंसा और पति-पत्नी के विवाद को खुलकर आपस में साझा करने का अवसर मिला है तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का अवसर मिला, हम लोग अपने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रर्दशन करते हुए आत्मनिर्भर बनेंगे। महिलाओं द्वारा बताया गया कि पुलिस के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 08.02.2026 को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2026 धारा 87,137(2),351(3),115(2),352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र चौहान पुत्र राजाराम निवासी केकरहो टोला रेहरवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर टेमी मोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 28.01.2026 को थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, हे0का0 रामविनय यादव ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैगेस्टर एक्ट के मामले में वांछित 15,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री अरविन्द शर्मा* के नेतृत्व मे आज दिनाँक 08.02.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 794/2025 धारा 2(b)(i)/3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 15,000 रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त राजपाल प्रजापति पुत्र रामजी प्रजापति निवासी जगतबेला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को छपिया छितौना रोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 44/2026 धारा 8/20 NDPS एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- विदित हो कि दिनाँक 30.03.2025 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मै बरदहिया बाजार से सामान लेकर ई रिक्शा से जा रही थी कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल से आये तथा मंगलसूत्र झपट्टा मार कर चले गये थे, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 260/2025 धारा 304(1) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध 15,000 रु0 का ईनाम घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
राजपाल प्रजापति पुत्र रामजी प्रजापति निवासी जगतबेला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर।

***बरामदगी का विवरण* -**
02 किलोग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, उ0नि0 श्री शोभनाथ, उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 अरूण प्रजापति, का0 भीम कुमार, का0 आनन्द कुमार पटेल ।